न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 172 / 2021 (2021 / 327) **दायर दिनांकः 04.10.2021**

उनवान

1. जमनालाल पुत्र मूलचंद उम्र 45 वर्ष जाति नाथ निवासी मूंडला तहसील अटरू जिला बारां राज.

वादी

बनाम

1. हरिमोहन पुत्र गुलाबचन्द जाति खाती निवासी मूंडला हाल अस्तपताल के सामने अन्ता जिला बारां (राज.)
2. शान्ति बाई पुत्री गुलाबचंद पत्नि गुलाबचंद जाति खाती निवासी मूंडला हाल ताड़ के बालाजी के सामने गली में बारां राज0।
3. देवकी बाई पत्नि भंवरलाल जाति खाती निवासी मूंडला तह. अटरू वली नाबालिग जयेश एवं रामू पुत्रान भंवरलाल
4. सुमित्रा पत्नी भोजराज जाति खाती निवासी मूंडला हाल ताड के बालाजी के सामने गली में बारां वली नाबा. गौरव, चंचल, मनीषा पुत्रान भोजराज
5. जितेन्द्र पुत्र जमनालाल जाति खाती निवासी 2(6)29 पुनीत धाम मंदिर के सामने टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा कोटा (राज.)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट. एवं
धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम

निर्णय **दिनांक 20 / 04 / 2023**

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का

पेश किया है कि ग्राम एवं माल मूंडला तहसील अटरू जिला बारां के वर्तमान कंप्यूटराईज्ड जमाबन्दी खाता संख्या 58 के अनुसार गुलाबचंद पुत्र रामगोपाल, जमनालाल पुत्र मूलचंद तथा नाबालिग जितेन्द्र पुत्र जमनालाल सरपरस्त पिता जमनालाल के खाते दर्ज चली आ रही है। जमाबन्दी संवत 2074 2077 के अनुसार जारी दिनांक 06.09.2021 वाद पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम मूंडला के खाता न. 57/51 जमाबन्दी संवत 2074–77 पटवारी द्वारा जारी दिनांक 19.08.2019 के अनुसार गुलाबचंद पुत्र रामगोपाल, जितेन्द्र कुमार नाबा वली पिता जमनालाल खाती व जमनालाल पुत्र मूलचंद नाथ समभाग अंकित किया है। पटवारी द्वारा जारी जमाबन्दी में गुलाबचंद पुत्र रामगोपाल, जितेन्द्र कुमार नाबा. वली जमनालाल पिता जाति खाती एक साथ अंकित कर (व) शब्द काम में लिया जाकर अगला नाम जमनालाल पुत्र मूलचंद नाथ समभाग अंकित किया है। जिसका अर्थ गुलाबचंद व जितेन्द्र खाती 1/2 तथा जमनालाल नाथ 1/2 (अर्थात समभाग) है। लेकिन कंप्यूटराईज्ड जमाबन्दी में क्रम संख्या 1 में गुलाबचंद, क्रम संख्या 2 पर जमनालाल नाथ तथा क्रम 3 में जितेन्द्र पुत्र जमनालाल पिता सरपरस्त जाति खाती अंकित किया है। वाद पत्र की मद नं. 3 में अंकित जितेन्द्र पुत्र जमनालाल नाथ नाबा. पिता जाति खाती को क्रम 1 के साथ अर्थात गुलाबचंद के साथ रख कर 1/2 समभाग करना था। लेकिन कंप्यूटराईज्ड जमाबन्दी में हिस्सा 1/3–1/3 कर दिया जो गलत है। गुलाबचंद पुत्र रामगोपाल व जितेन्द्र पुत्र जमनालाल नाबा वली पिता ने संयुक्त रूप से 11 बीघा 1 बिस्वा जमीन खाता संख्या 51 के खसरा न. 237 की 11 बीघा 1 बिस्वा जिसका नया ख.न. 392 है को रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 18/04/1978 को क्रय की थी जिससे स्पष्ट है कि गुलाबचंद व जितेन्द्र नाबा, समभाग अर्थात 5 बीघा 8 बिस्वा व 5 बीघा 8 बिस्वा के समभाग खातेदार है। लेकिन जमाबन्दी में 1/3–1/3 अंकित कर दिया गया जो गलत है। इसी तरह दिनांक 18.04.1978 को ख.न. 237 की 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि देव बाई बेवा शंकरनाथ ने जये रजिस्टर्ड बेनामा की थी जो देवबाई के फौत होने पर खातेदार वादी जमनालाल पुत्र मूलचंद नाथ के खाते दर्ज की गई है। उक्त बेनामा रजि. से स्पष्ट है कि गुलाबचन्द पुत्र रामगोपाल व जितेन्द्र पुत्र जमनालाल नाबा 1/2 तथा देव बाई 1/2 की खातेदार है। अब देव बाई के स्थान पर जमनालाल पुत्र मूलचंद नाथ दर्ज है जो 1/2 का खातेदार है। गुलाबचंद खातेदार फौत हो गया है। इसलिए उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। जिसका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है –

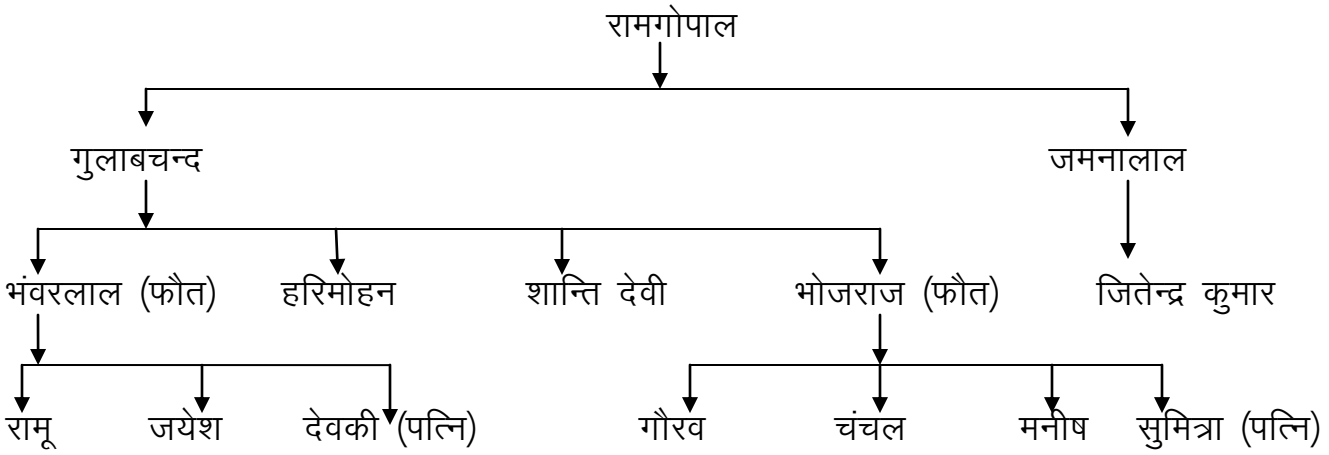

राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तहसीलदार महोदय अटरू को पक्षकार बनाकर धारा 80 सीपीसी का नोटिस दे दिया है। वाद अंकित कृषि भूमि तहसील क्षेत्र अटरू में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः वाद प्रस्तुत कर अनुरोध है कि वाद अंकित खाता न. 58 में ख.न. 392 का रकबा 3.07 है. को समभाग बंटवारा खातेदार गुलाबचंद एवं जितेन्द्र 1/2 एवं जमनालाल पुत्र मूलचंद नाथ 1/2 किया जावे तथा खाता न. 58 में की गई त्रुटि हिस्सा 1/3, 1/3 दुरुस्त की जावे तथा गुलाबचंद के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम दर्ज किया जावे ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 5 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 लगायत 8 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9, 10, 11 कानूनी होने से स्वीकार है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर अनुरोध है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य जमाबंदी में हुई गलती को दुरूस्त करते हुये समभाग मुताबिक रजिस्ट्री बेनामा एवं जमाबंदी बंटवारा किया जावे।

3. प्रतिवादी कम 6 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

4. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य– पी डब्ल्यू 1 जमनालाल पुत्र मूलचंद, पीडब्ल्यू 2 नरोत्तम पुत्र भंवरलाल, पीडब्ल्यू 3 रूपचन्द पुत्र चोथमल तथा दस्तावेजी साक्ष्य– ग्राम

रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1978 प्रदर्श 2ए, रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1984 प्रदर्श 3ए, भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4ए, खाता संख्या 58 की हाल जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श 5, खाता संख्या 57 की जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श पी1, प्रथम सेटलमेन्ट संवत 2013–32 की जमाबंदी पेश कर प्रदर्शित किया गया।

5. अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम मूंडला तहसील अटरू की जमाबंदी संवत 2013–32 के अनुसार साबिक ख0नं0 237 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा आराजी खातेदारान मांगीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण व श्रीनाथ वल्द मदनलाल जाति महाजन के खाते दर्ज थी। खातेदारान मांगीबाई व श्रीनाथ जाति महाजन द्वारा उक्त आराजी साबिक ख0नं0 237 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा में से 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 14.04.1978 गुलाबचन्द बल्द रामगोपाल व जितेन्द्र कुमार वल्द जमनालाल को बेचान की थी। इसी प्रकार खातेदारान मांगीबाई व श्रीनाथ द्वारा साबिक ख0नं0 237 का शेष रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1984 देवबाई बेवा शंकर नाथ जाति नाथ को बेचान किया था। इस प्रकार खातेदारान मांगीबाई व श्रीनाथ द्वारा अपने खाते की आराजी ख0नं0 237 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा में से आधी भूमि यानी 1/2 भाग का बेचान गुलाबचन्द वल्द रामगोपाल व जितेन्द्र वल्द जमनालाल को तथा शेष 1/2 भाग का बेचान देवबाई बेवा शंकर नाथ को किया गया। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि देवबाई बेवा शंकरनाथ फौत हो चुकी है और उनकी जगह उनके वारीस जमनालाल पुत्र मूलचन्द जाति नाथ रिकार्ड में दर्ज कर 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया है जबकि 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। अभिभाषक वादी द्वारा आगे कथन किया गया कि साबिक ख0नं0 237 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा के सेटलमेन्ट के बाद नये ख0नं0 392 रकबा 3.07 है0, ख0नं0 389 रकबा 0.20 है0 व ख0नं0 506/1285 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.32 है0 बनाया गया है।

अभिभाषक वादी द्वारा पुनः तर्क किया गया कि राजस्व विभाग के कार्मिकों को विवादित आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 3.32 है0 में वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का हिस्सा 1/4 (गुलाबचन्द के वारिसान) व प्रति0 क्रम 5 जितेन्द्र का हिस्सा 1/4 दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन राजस्व कार्मिकों द्वारा लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए कंप्यूटराईज्ड जमाबन्दी में हिस्सा 1/3–1/3 कर दिया अर्थात वादी, गुलाबचन्द व जितेन्द्र का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज कर

दिया गया है जो विधि विरूद्ध होने से संशोधित किये जाने योग्य है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 ने भी अपने इकबाली जवाब में राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई त्रुटि को स्वीकार कर वादी के अनुतोषों पर सहमति प्रदान की है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे और सहखाते गुलाबचन्द के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम दर्ज किया जावे।

6. अभिभाषक वादी की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम मूंण्डला की जमाबंदी संवत 2013–32 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक ख0नं.0 237 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा मांगीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण व श्रीनाथ वल्द मदनलाल जाति महाजन के शामलाती खाते दर्ज थी। वादी द्वारा पेश रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 18.04.1978 प्रदर्श 2 ए के अनुसार खातेदार मांगीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण व श्रीनाथ वल्द मदनलाल जाति महाजन ने अपने आराजी में से 11 बीघा 1 बिस्वा आराजी का 3500 रू के प्रतिफल में गुलाबचन्द वल्द रामगोपाल व जितेन्द्र वल्द जमनालाल को बेचान कर दिया था। इसी प्रकार रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1984 प्रदर्श 3ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारान मांगाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण व श्रीनाथ वल्द मदनलाल जाति महाजन द्वारा साबिक ख0नं0 237 के शेष रकबे 11 बीघा 1 बिस्वा का बेचान देवबाई बेवा शंकरनाथ जाति नाथ को किया था। दोनों विक्रय पत्रों के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि खातेदारान द्वारा आराजी साबिक ख0नं0 237 में से 1/2 हिस्से का बेचान गुलाबचन्द वल्द रामगोपाल व जितेन्द्र वल्द जमनालाल को तथा शेष 1/2 हिस्से का बेचान देवबाई बेवा शंकरनाथ जाति नाथ को किया गया था। अतः राजस्व रिकार्ड में देवबाई बेवा शंकरनाथ 1/2 हिस्से पर खातेदार कृषक दर्ज होनी चाहिए थी। वादी द्वारा पेश भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4ए के अनुसार साबिक ख0नं0 237 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा के सेटलमेन्ट के बाद नये ख0नं0 392 रकबा 3.07 है0, ख0नं0 389 रकबा 0.20 है0 व ख0नं0 506/1285 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.32 है0 बनाया गये है। यह निर्विवादित तथ्य है कि क्रेता खातेदार देवबाई बेवा शंकरनाथ जाति नाथ फौत हो चुकी है और उनके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में उनका वारिस वादी खातेदार के रूप में दर्ज हो चुका है। ग्राम मूण्डला की विवादित आराजी की हाल जमाबंदी प्रदर्श पी 5 के अनुसार वादी जमनालाल, गुलाबचन्द व जितेन्द्र का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज है जबकि नियमानुसार वादी जमनालाल का हिस्सा 1/2, गुलाबचन्द का हिस्सा 1/4 व जितेन्द्र का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड होना चाहिए। राजस्व कार्मिकों

द्वारा यह त्रुटि कब की गई यह स्पष्ट नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जवाब दावा दिनांक 21.02.2022 द्वारा वादी द्वारा चाहे गये सभी अनुतोषों को सहमति से स्वीकार किया है।

7. अभिभाषक वादी द्वारा विवादित आराजी के सहखातेदार गुलाबचन्द के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है लेकिन वादी द्वारा न तो सहखातेदार गुलाबचन्द का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है और न ही वारिसान प्रमाण पत्र/वंश वृक्षावली पेश की गई है। अतः सहखातेदार गुलाबचन्द के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कानूनी वारिसान प्रमाण पत्र के अभाव में गुलाबचन्द के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम मूंण्डला की विवादित आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 3.32 है0 के संबंध में पेश वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम मूंण्डला की विवादित आराजी ख0नं0 389/1200 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 392 रकबा 3.07 है0, व ख0नं0 506/1285 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.32 है0 में दर्ज हिस्सों में शुद्धी कर वादी जमनालाल पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/2, गुलाबचन्द पुत्र रामगोपाल का हिस्सा 1/4 व जितेन्द्र कुमार पुत्र जमनालाल का हिस्सा 1/4 करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 172/2021 **दायर दिनांकः 04.10.2021**

उनवान

1. जमनालाल पुत्र मूलचंद उम्र 45 वर्ष जाति नाथ निवासी मूंडला तहसील अटरू जिला बारां राज.

वादी

बनाम

1. हरिमोहन पुत्र गुलाबचन्द जाति खाती निवासी मूंडला हाल अस्तपताल के सामने अन्ता जिला बारां (राज.)
2. शान्ति बाई पुत्री गुलाबचंद पत्नि गुलाबचंद जाति खाती निवासी मूंडला हाल ताड़ के बालाजी के सामने गली में बारां राज0।
3. देवकी बाई पत्नि भंवरलाल जाति खाती निवासी मूंडला तह. अटरू वली नाबालिग जयेश एवं रामू पुत्रान भंवरलाल
4. सुमित्रा पत्नी भोजराज जाति खाती निवासी मूंडला हाल ताड के बालाजी के सामने गली में बारां वली नाबा. गौरव, चंचल, मनीषा पुत्रान भोजराज
5. जितेन्द्र पुत्र जमनालाल जाति खाती निवासी 2(6)29 पुनीत धाम मंदिर के सामने टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट. एवं
धारा 136 एल0आर0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम मूंण्डला की विवादित आराजी ख0नं0 389/1200 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 392 रकबा 3.07 है0, व ख0नं0 506/1285 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.32 है0 में दर्ज हिस्सों में शुद्धी कर वादी जमनालाल पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/2, गुलाबचन्द पुत्र रामगोपाल का हिस्सा 1/4 व जितेन्द्र कुमार पुत्र जमनालाल का हिस्सा 1/4 करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.04.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)